राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–123/2014

अशोक कराडिया

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग,
सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ प्रदान करते हुए अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ के समान वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक, विज्ञान के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

2. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की संशोधित जिला स्तरीय वरिष्ठता के अनुसार मण्डल स्तरीय वरिष्ठता भी क्रम संख्या 4197–बी. के स्थान पर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक संनि/स्कूशि/ जय/संस्था/4बी./फा. वरिष्ठता/64/2023 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा संशोधित करते हुए 2312ए. (2004–05) निर्धारित की जा चुकी है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार संशोधित वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग ने यह भी अंकित किया है कि संशोधित वरिष्ठता के अनुसार आगामी रिव्यू बैठक में पदोन्नति परिलाभ को नियमानुसार रिव्यू कर अपीलार्थी के चयन वर्ष को रिव्यू कर अपीलार्थी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाएगा।

3. प्रत्यर्थी विभाग के उपरोक्त स्वीकृत अभिकथन को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी को उसकी संशोधित वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया जाए एवं अपीलार्थी यदि पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ भी प्रदान किया जाए एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किया जाए।

4. इस आदेश की पालना चार माह में सुनिश्चित की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)